न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 898–दो/11 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–6–11 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 963/अपील/09–10.

1– सुखलाल तनय स्व. श्री चुन्ना
2– बाबूलाल तनय स्व. श्री चुन्ना
3– रामराज तनय स्व. श्री चुन्ना
सभी निवासी ग्राम रजौला तहसील मझगवां
जिला सतना म.प्र. ----- आवेदकगण

विरूद्ध

1– दुजवा तनय सुकुरूआ
2– बच्चा तनय सुकुरूआ
3– भूरा तनय सुकुरूआ
4– सध्धू तनय सुकुरूआ
5– रामदीन तनय सुकुरूआ
6– बहादुरा तनय सुकुरूआ
7– तुलवा तनय सुकुरूआ
सभी निवासी ग्राम रजौा तहसील मझगवां
जिला सतना म.प्र. ----- अनावेदकगण

श्री एस. के. श्रीवास्तव एवं श्री राजनारायण वर्मा, अधिवक्ता, आवेदकगण
श्री मृत्युंजय गोस्वामी, अधिवक्ता, अनावेदकगण.

:: आदेश ::

(आज दिनांक 06, अगस्त 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 963/अपील/09–10 में पारित आदेश दिनांक 7–6–11 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि ग्राम रजौला की प्रश्नाधीन भूमि सहखातेदार उभयपक्ष हैं, जिसमें प्रत्येक 1/2–1/2 हिस्सा है । विचारण न्यायालय में

आवेदकों द्वारा उक्त भूमियों का बटवारे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर से विचारण न्यायालय ने बटवारा आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने एस.डी.ओ. के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण आवश्यक निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– प्रकरण में दोनों पक्षों के मौखिक तर्क सुने गये । आवेदकगण की ओर से लिखित बहस भी पेश की गई है ।

4– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण बटवारे से संबंधित है । अपर आयुक्त ने प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों का अवलोकन करके आदेश पारित किया गया है । उनके द्वारा यह पाया है कि इस प्रकरण में मौके में बिना जांच किए बिना पंचनामा व फर्द पुल्ली बनाए बिना फर्जी पुल्ली प्रस्तुत की गई है जिसका कोई प्रकाशन नहीं किया गया वह जांच नहीं कराई गई और ना ही साक्ष्य ली गई । उन्होंने यह भी पाया है कि प्रकरण ममें सभी पक्षों को समान हक व नहीं मिला है । उक्त कारणों से उन्होंने प्रकरण को विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि उभयपक्षों की उपस्थिति में पुनः बंटवारे की कार्यवाही की जाये तथा पक्षकारों को समान रूप से रोड/रास्ते से लगी हुई भूमियों में आधा–आधा हिस्सा दिया जाये । अपर आयुक्त का आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक और सुसंगत होने से उसकी पुष्टि की जाती है तथा यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर